



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/13

निर्णय दिनांक: 05.06.2018

1. भगवानदास पुत्र भागीरथ साध निवासी गोपेश्वर बस्ती तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 08-08-1999  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 08-08-1999 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 14 के.एल.डी के मुरब्बा नम्बर 72/02 के किला नम्बर 1 ता 25 की

25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा पत्रावली की नकल निकलवाई गई तो उसे ज्ञात हुआ कि पत्रावली पर चक 14 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 72/02 का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त मुरब्बा अविज्ञापित है। यदि उक्त भूमि पूर्व में अविज्ञापित था तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अन्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों की गलती का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। यदि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अविज्ञापित था तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट को अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा मात्र अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए औपचारिकता पूर्ण कर दी गई।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-08-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक 31-03-13 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-08-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 31-01-2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।
7. हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 14 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 72/02 के विशेष आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08-08-1999 को वादगत मुरब्बा नम्बर विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया गया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 14 के.एल.डी के मुरब्बा नम्बर 72/02 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त मुरब्बा विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित नहीं होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं था। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र अन्यत्र भूमि आवंटन के प्रावधान नहीं

होने के कारण ही अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-08-1999 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है।
9. निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

